उपरोक्त

पत्रावली पेश हुई। वादी मदन वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण में वादी का बयान हेतु दिया गया बावजूद पुकार उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन-तीन बार आवाज लगाई गई बावजूद वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अंत तक उपस्थित हुए। जिससे प्रतीत होता है कि वे उक्त वाद के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 धारा 151 CPC के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। उक्त फैसला शामिल होकर नत्थी जो जाता है।